पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 1077/अका./२००४ रायपुर,दिनांक 6.6.2004
8/6/2004

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 6.6.2004 को 12.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई। कुलसचिव की अनुपस्थिति में श्री के.के.चन्द्राकर वरिष्ठ उपकुलसचिव कार्यपरिषद के सचिव के रूप में बैठक में उपस्थित रहें। विषय क्रमांक 2 के निर्णय के समय अध्यक्ष के आदेश से श्री के.के.चन्द्राकर, कक्ष से बाहर रहें। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थें-

1.	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
3.	प्रोफेसर जी.एल.मूंदड़ा	सदस्य
4.	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	सदस्य
5.	श्री भागवत चन्द्राकर	सदस्य
6.	डा डी.के.कटारिया	सदस्य
7.	प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ	सदस्य
8.	प्रोफेसर र.च.मेहरोत्रा	सदस्य
9.	श्री के.के.चन्द्राकर	सचिव

कार्यवृत्त-

पद क्रमांक 1 — दिनांक 4.6.2004 को संपन्न विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय — सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

पद क्रमांक 2 — समन्वय समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक का पद स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना।

समन्वय समिति की सातवीं बैठक दिनांक 2.1.2004 में (अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के बिंदू क्रमांक 11) परीक्षा नियंत्रक के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिया है-

"सभी विश्वविद्यालयों में कंट्रोलर ऑफ एक्सामिनेशनस् का पद एवं कार्यालय सृजित किया जाय, परन्तु ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न आये।"

उपरोक्त निर्णय के तहत परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया जाना है जिनका वेतनमान कुलसचिव को स्वीकृत वेतनमान रू.16400-22400 के बराबर होगा।

1. परीक्षा नियंत्रक गोपनीय विभाग एवं परीक्षा विभाग के समस्त कार्य देखेंगे तथा सभी नस्तियां सीधे कुलपतिजी को भेज सकेंगे।

2.परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा विभाग और गोपनीय विभाग के अधिकारी अपनी नस्तियां प्रस्तुत करेंगे अर्थात परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में कार्यरत अधिकारी परीक्षा नियंत्रक के निर्देशन में संबंधित कार्यालय सहायकों से निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करावेंगे।

3.परीक्षा एवं गोपनीय से संबंधित पारिश्रमिक, मानदेय एवं अन्य वित्तीय व्यय जिसे स्वीकृत करने का अधिकार कुलसचिव को है वह परीक्षा एवं गोपनीय के मामले में परीक्षा नियंत्रक का होगा।

4.परीक्षा नियंत्रक कुलपति जी के निर्देशन में परीक्षा एवं गोपनीय से संबंधित समस्त कार्य में संबंधित अधिकारियों से पूर्ण करावेंगे।

इस पद हेतु कम से कम 07 वर्ष या उस से अधिक का अनुभव रखने वाले उपकुलसचिव अथवा किसी विश्वविद्यालयीन आचार्य को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय — उपकुलसचिव का पद अपग्रेड होने के कारण इस विश्वविद्यालय के लिये विलोपित किया जाता है तथा कंट्रोलर का एक पद सृजित किया जाता है जो कुलसचिव के समकक्ष होगा। परीक्षा नियंत्रक का कार्य विषय-सूची में उल्लेखित बिंदुओं के आधार पर होगी। परीक्षा नियंत्रक सीधे कुलपति के अधीन तथा निर्देशन में कार्य संपादित करेंगे। परीक्षा नियंत्रक के कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण तथा समावेश करते हुए आगामी कार्यपरिषद के बैठक में अवलोकनार्थ रखी जावे।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि इस विश्वविद्यालय में वरिष्ठ उपकुलसचिव के पद पर श्री के.के.चन्द्राकर कार्यरत है जिन्हें परीक्षा एवं गोपनीय का तेरह वर्षों से अधिक का अनुभव है तथा वेतनमान भी कुलसचिव के समकक्ष भी पहुँच चुका है अतः श्री के.के.चन्द्राकर उपकुलसचिव गोपनीय को परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया जावे। सर्वसम्मति से अध्यक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये समन्वय समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में एक उपकुलसचिव के पद को अपग्रेड करते हुये परीक्षा नियंत्रक के पद पर श्री के.के.चन्द्राकर उपकुलसचिव गोपनीय को कुलसचिव के लिये स्वीकृत वेतनमान रुपये 16400-22400 में सामान्य सुविधा देते हुये नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

पद क्रमांक 3 — ओसवाल डाटा प्रोसेसर्स, इंदौर के देयक रू 89,645/- के भुगतान हेतु सत्र 2004-05 में एफ 9 मद में रखी गई राशि रू.20 लाख में से रुपये 12 लाख की राशि को बजट मद एफ 4 में पुनंर्विनियोजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने बाबत्।

निर्णय — सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

पद क्रमांक 4 — संचालक, एस्कार्ट फिजियोथेरेपी कालेज एम.पी.कालेज नर्सिग कालेज दुर्ग को स्थानांतरित कर धमतरी में संचालित करने संबंधी पत्र पर विचार करना।

निर्णय — सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एस्कार्ट फिजियोथेरेपी कालेज एम.पी.कालेज नर्सिग कालेज दुर्ग को स्थानांतरित कर धमतरी में संचालित करने के लिये एन.सी.आई. एवं राज्य शासन से अनुमति लेना होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के परीक्षण के बाद उनकी अनुशंसा होने पर कार्यपरिषद में पुनः विचारार्थ रखा जाय।

विषय क्रमांक 5 स्व.हरीराम साहू, चौकीदार की विधवा श्रीमती बुधियारिन बाई को शैक्षणिक योग्यता में छूट के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक 6 सेमेस्टर परीक्षाओं के गोपनीय परिणाम छात्रों को प्रदान करने हेतु शुल्क रूपये 300/- निर्धारित कर कार्यालय सहायक को 50/- रू टंकणकर्त्ता को 20/- रू, जांचकर्त्ता को 15-15 रुपये वि.कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सहायक कुलसचिव को 20/- रू.पारिश्रमिक स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से गोपनीय परिणाम छात्रों को प्रदान करने हेतु शुल्क रूपये 200/- कार्यालय सहायक को, 30/- रू टंकणकर्त्ता को, 20/- रू, जांचकर्त्ता को 10-10 रुपये, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सहायक कुलसचिव को 20/- रू.पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया ।

विषय क्रमांक 7 उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं पुनर्गणना शुल्क में वृद्धि के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं पुनर्गणना शुल्क में वृद्धि को अनुमोदित की गई।

मद	दर
पुनर्मूल्यांकन प्रति प्रश्नपत्र	125.00 रू.
पुनर्गणना प्रति प्रश्न पत्र	30.00 रू
पुनर्गणना समस्त प्रति प्रश्न पत्र	100.00 रुपये

विषय क्रमांक 8 विभिन्न परीक्षाओं के सहायक समन्वयकों के वर्तमान मानदेय रू.75/- से बढ़ाकर 100/- रू. प्रति दिन करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिंया गया कि वर्ष 2004 की परीक्षा से सहायक समन्वयकों का मानदेय 100/- रू. प्रति दिन करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक 9 दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के अनुमानित बजट 2004-05 को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 10 विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी भवन निर्माण स्थल की प्लेट बियरींग टेस्ट करने हेतु शास.अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर को रुपये 10000/- भुगतान करने की सूचना ग्रहण करना एवं अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 11 एम.बी.ए. एवं फार्मेसी भवन विस्तार हेतु मेनिट भोपाल से उक्त कार्य के अनुबंध की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 12 फारमेसी अध्ययन शाला में स्ववित्तीय आधार पर शिक्षकों की संविदा नियुक्ति के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्रमांक 13 श्री शंकराचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय भिलाई में चयन समिति द्वारा चयनित प्राचार्य के पद को अनुमोदित करने के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्मति से प्राचार्य पद पर चयनित श्री एम.एन.वर्मा की नियुक्ति को अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 14 पूर्व में कार्यपरिषद द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शांति निकेतन महाविद्यालय में पी.जी.डी.सी.ए. में नियम विरूद्ध 30 सीट के स्थान पर 118 विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में विचार करना।

निर्णय प्रकरण में गठित समिति के प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के समक्ष रखा गया।

कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद से निवृत्त माननीय सदस्यों 1.श्री आर.एल.भारद्वाज, 2.श्री ललित सुरजन, 3.प्रोफेसर एम.एल.नायक, 4.प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा, 5.डा श्रीमती गीता तिवारी का उनके कार्यकाल की सराहना करते हुये उनका आभार प्रकट किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

6.6.04

कुलपति

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 1078/अका/2004

रायपुर, 6.6.2004
8/6/04

प्रतिलिपि-

०१. राज्यपाल के सचिव,राजभवन ,रायपुर ।
०२. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
०३. सचिव,वित्त विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
०४. डॉ० एम.एल. नायक, आचार्य ,बायो-साईन्स अध्ययन शाला पं० र०शु०वि०वि० रायपुर ।
०५. डॉ० ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं०र०शु०वि०वि. रायपुर ।
06. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा,रायपुर
०७. डॉ० एस सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर।
०८ प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा, आचार्य, रसायन अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि.,रायपुर
०९ डा हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महा.राजनांदगांव
10 डा.अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी.देव महा, कांकेर
11 डॉ० अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय,राजनांदगांव ।
12 श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग
13. पं.रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर ।

१४. डॉ० (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर

१५. डॉ० युगल भारती, प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ।

१६. श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी-४,अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।

१७. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर।

१८. डा डी.के.कटारिया, आयुर्वेदिक महाविद्यालय,रायपुर।

19. डा जी.डी.साव, प्राचार्य, शास.महाविद्यालय दुर्ग।

२०. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।

२१. वित्तअधिकारी/आवासीयअंकेक्षणपं.र.शु.वि.वि.रायपुर/उपकुलसचिवअकादमिक/उपकुलसचिव गोपनीय/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रशासन, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/ सेमेस्टर परीक्षा, विश्वविद्यालय यंत्री,पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि.,रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

06/08

कुलसचिव